न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2012 Gems No 2012/00249
दायरा तिथि : 16.03.2012
आदेश तिथि: 22-08-24

प्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्रार्थी :–

1. स्व. शांतीलाल पुत्र धनराज के का.मु.–
   1/1– दिनेश पुत्र शांतीलाल
   1/2– पूनम पुत्री शांतीलाल
   1/3– चम्पाबेन पत्नि शांतीलाल जाति जैन निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली
2. स्व. बाबुलाल पुत्र रिखबदास उर्फ शिवराज का.मु.–
   2/1– जयेश पुत्र बाबुलाल हाल पता– शंखेश्वर दर्शन सोसायटी, ए.जी. पंवार रोड, भायकला(मुम्बई)
   2/2– कमलेश पुत्र बाबुलाल
   2/3– कीर्ति पुत्र बाबुलाल
   2/4– हसमुख पुत्र बाबुलाल
   2/5– लीलाबेन पत्नि बाबुलाल
   2/6– ममता पुत्री बाबुलाल के का.मु.–
      2/6/1– सलोनी मीलन मेहता पुत्री ममता
      2/6/2– दर्श मीलन मेहता पुत्री ममता

   जतिगण जैन निवासीगण बाली तहसील बाली हाल पता जयेश पुत्र बाबुलालजी, ए–1/601, शंखेश्वर दर्शन सोसायटी ए.जी.पवार रोड भायकला मुंबई–27
3. हसमुख पुत्र बाबुलाल जाति जैन निवासी बाली जिला पाली हाल पता जयेश पुत्र बाबुलालजी, ए–1/601, शंखेश्वर दर्शन सोसायटी ए.जी.पवार रोड भायकला मुंबई–27

–:: आदेश ::– दिनांक :

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम खुडाला स्थित भूमि खसरा नंबर 376/1 रकबा 0.4800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मकान बनाकर अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण शांतिलाल व बाबुलाल के मृत्यु होने से उनके वारिसान को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील होने के बावजुद अप्रार्थीगण न्यायालय द्वारा नियत पेशियों पर आदिनांक तक न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से दिनांक 22.08.2024 को अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला स्थित भूमि खसरा नंबर 376/1 रकबा 0.4800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर खातेदार द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मकान बना लिये है तथा मौके पर आवासीय प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है, अप्रार्थीगण का उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगा–**

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो,

(ख) इस आधार कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं:

पेज लगातार.....02

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण सं0 14/2012 GCMS No 2012/00249

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम हसमुखलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला स्थित भूमि खसरा नंबर 376/1 रकबा 0.4800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि कृषि भूमि है। परन्तु पटवारी हल्का, खुडाला की मौका फर्द दिनांक 10.01.2012 के अनुसार वर्णित भूमि में मौके पर खातेदारान द्वारा मकान बना लिये है तथा भूमि का मौके पर कृषि उपयोग न होकर अकृषि प्रयोजन आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के सबंध में खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला स्थित भूमि खसरा नंबर 376/1 रकबा 0.4800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(श्री दिनेश विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 22-08-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner